मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3–7/2013/3/एक भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश

विषय :– समाधान 1 दिवस के अंतर्गत सेवा कमांक 6.1–कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय प्रकिया।

संदर्भ:– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29 जून, 2013, 25 सितम्बर, 2014 एवं 20 मई, 2015।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–2–13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.–06 दिनांक 10.04.2013 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा कमांक 6.1 के रूप में अधिसूचित की गई है। विभिन्न निर्देशों द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रकिया निर्धारित कर 7 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश हैं। उक्त प्रकिया में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

(1) सेवा का उद्देश्य–नागरिकों को सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से सेवा कमांक 6.1–कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु इस सेवा का प्रदाय 01 दिवस में किया जाए।

(2) पदाभिहित अधिकारी–कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

(3) पात्रता की आवश्यक शर्तें–मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए निम्न में से किसी एक शर्त की पूर्ति आवश्यक होगी:–

3.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो (मूक,बधिर,अंध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)।

3.2 आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो।

3.3 आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।

3.4 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारी हो। परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (3.1) अथवा (3.2) अथवा (3.3) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

3.5 आवेदक केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।

3.6 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।

3.7 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

3.8 भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षो तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो, को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाए। उपरोक्त कंडिका में "परिजन" से तात्पर्य है संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नि अथवा पति, या माता अथवा पिता।

(4) <u>आवश्यक दस्तावेज</u>–स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र।

(5) <u>आवेदन करने का स्थान</u>–लोक सेवा केन्द्र।

(6) <u>लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन करने की प्रकिया</u>–

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिए संलग्न आवेदन स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र अनुसार पूर्ण आवेदन ही लोक सेवा केन्द्र में स्वीकार किए जाएंगे।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाईन किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गॉरंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जाएगी।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक का मोबाईल नं0 अनिवार्य है इसके अलावा अगर आधार नं0 एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भरा जाएगा।

6.5 आवेदन का पंजीयन मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गॉरंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जाएगा ।

(7) आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया–

7.1 आवेदक द्वारा आवेदन लोक सेवा केन्द्र पर सबमिट करते ही आवेदन पत्र ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही संबंधित पदाभिहित अधिकारी को उनके अकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर प्रमाण पत्र उसी दिन ही ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

7.3 यदि किसी कारण सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है तो सेवा निरस्त/अमान्य करने का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा ।

(8) शुल्क–

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क।

(9) अपील–समाधान 1 दिवस प्रकिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगाः–

1. आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर।

अथवा

आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर।

2. प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय–सीमा 30 दिवस तथा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय–सीमा 60 दिवस होगी।

अपील निम्नानुसार की जा सकेगीः–

सेवा क0	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
6.1	कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 दिवस	कलेक्टर

(10) अन्य प्रावधान–

10.1 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य/संलग्न अभिलेख प्रथम दृष्टया आवेदन स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र में वर्णित तथ्यों से अलग हटकर जानकारी दर्शित करते है तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/आपत्ति निरस्त कर सकेगा।

10.2 सुनवाई/जॉच पश्चात स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र में वर्णित तथ्य असत्य पाए जाने पर आवेदक के विरूद्ध अपेक्षित विधिक कार्यवाही की जाएगी।

10.3 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्थाई होने से प्रकरण संधारण अवधि 20 वर्ष तक रहेगी। प्रकरण में मूलतः स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न रखा जाएगा।

10.4 आवेदक के पक्ष में विधियत रूप से जारी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्थाई होगा। यदि आवेदक अन्य राज्य का स्थानीय निवासी हो जाता है अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वयमेव निरस्त माना जाएगा।

10.5 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पत्नि एवं उसके अवयस्क पुत्र–पुत्री (पति के जीवित न होने/तलाक हो जाने पर पत्नी को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में उनके अवयस्क पुत्र–पुत्री) स्वतः ही मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होंगे। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी की पत्नी एंव अवयस्क बच्चों के लिए पृथक से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10.6 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी व्यक्ति (माता–पिता) के पुत्र–पुत्री के वयस्क होने पर उनके माता/पिता के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति से सत्यप्रति का सत्यापन कर ऐसे पुत्र/पुत्री के वयस्क होने पर उनके पक्ष में मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

10.7 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र किसी जाति निर्धारण के लिए जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जॉच में विचारार्थ साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के.कातिया)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी 3–7/2013/3/एक

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. राजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।

9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सविच, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
21. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ।
22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

फोटो
अभि प्रमाणित

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
स्व- घोषणा -पत्र

मैं . . . . आत्मज/पति श्री . . . . आयु लगभग . . . . .वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

1. मैं वर्तमान में . . . . .में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती . . . . .एवं उम्र (लगभग) . . . . .वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री–
   1. श्री/कु. . . . . .आयु (लगभग) . . . . . वर्ष
   2. श्री/कु . . . . .आयु (लगभग) . . . . . वर्ष

4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन कमांक सी–3/17/1/3/2011, दिनांक 20.12.2011 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
   1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं0 .... मोहल्ला .... ग्राम . . . . तहसील . . . . जिला ....में वर्ष ....में पैदा हुआ/हुई हूँ मैंने संस्था .... ग्राम/शहर .... तहसील.................जिला ....में वर्ष ....से वर्ष ....तक शिक्षा प्राप्त की है।

   2. मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला . . . . .शहर . . . . तहसील . . . . जिला . . . . में विगत 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ। (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां–कहां निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
   3. मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से ग्राम/मोहल्ला . . . . .शहर .. . . तहसील . . . . जिला . . . . में निरंतर निवासरत हूँ। और मेरे नाम ग्राम/शहर में सर्वे नं0.................... रकबा...................का भूखण्ड/मकान है। मैं.......................... उद्योग/व्यवसाय करता हूँ। मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर....................................है।
   4. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम . . . . कार्यालय का नाम . . . . विभाग का नाम . . . . के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
   5. मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित . . . . नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में . . . . पद पर. . . . . कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
   6. मैं केन्द्र शासन के विभाग . . . . में . . . . के पद पर . . . . कार्यालय . . . . तहसील . . . . जिला . . . . के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
      (कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
   7. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष . . . .) अधिकारी हूँ। . . . . पद पर . . . . कार्यालय/मंत्रालय . . . . में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
      (कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
   8. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद . . . . पदनाम पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
      (पूर्ण विवरण दिया जाये।)
   9. मैं भूतपूर्व सैनिक हूं तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि . . . .) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन/मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं . . . . आत्मज/पति श्री . . . . आयु . . . . वर्ष निवासी . . . . सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा–पत्र की कंडिका . . . . .लगायत में . . . . उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है।

सत्यापन आज दिनांक . . . . को स्थान . . . . में किया गया।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा–पत्र में किया जाये।)

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता	--	....
1. आवेदक का नाम एवं पता	--	....
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	--	....
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है	--	....
. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	--	....
4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	--	....

स्थान..............

दिनांक......................

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोटः– आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।